राजस्थान सरकार
राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

क्रमांक: राम/प–1/4/11/वि/स्था/13/ 173 दिनांक: 08.01.2020

विज्ञप्ति

राजस्थान चतुर्थ श्रेणी सेवा (भर्ती एवं सेवा की अन्य शर्ते) नियम –1999 के नियम–32 के तहत मण्डल एवं मण्डल के अधीनस्थ कार्यालयों में कार्यरत स्थाई / अस्थाई चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की दिनांक 01.04.2009 से दिनांक 01.04.2018 तक की स्थिति की अंतरिम (PROVISIONAL) वरिष्ठता सूचियां मण्डल की समसंख्यक विज्ञप्ति क्रमांक 13785 दिनांक 22.11.2019 के द्वारा प्रकाशित करते हुए वरिष्ठता / सेवाविवरण के संबंध में कार्मिकों से आपत्तियां आमंत्रित की गई थी किन्तु किसी भी कार्मिक की आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है।

अतः मण्डल की समसंख्यक विज्ञप्ति क्रमांक 13785 दिनांक 22.11.2019 द्वारा मण्डल एवं मण्डल के अधीनस्थ कार्यालयों में कार्यरत स्थाई/अस्थाई चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की दिनांक 01.04.2009 से दिनांक 01.04.2018 तक की स्थिति की जारी की गई अंतरिम (PROVISIONAL) वरिष्ठता सूचियों को ही अंतिम (FINAL) वरिष्ठता सूचियां घोषित किया जाता है।

आदेशानुसार

(भावना गर्ग)
उप निबन्धक (प्रशासन)
राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

क्रमांक: सम/ 174–191 दिनांक 08.01.2020

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निजी सचिव, निबन्धक महोदया, राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर।
2. निदेशक, आर.आर.टी.आई, अजमेर।
3. राजस्व अपील प्राधिकारी, समस्त।
4. विशेषाधिकारी(उप विधि परामर्शी) मुख्यालय जिला कलक्टर, कार्यालय जयपुर/जोधपुर।
5. संयुक्त निदेशक (कम्प्युटर), राजस्व मण्डल, अजमेर को मण्डल की वेबसाईट पर प्रकाशन हेतु।
6. प्राधानाचार्य, ए.पी.आर.टी. टोंक।
7. प्राधानाध्यापक, पटवार प्रशिक्षण स्कूल, समस्त।
8. संबंधित कार्मिक श्री..
9. आदेश पंजिका/ निजी पत्रावली।

(भावना गर्ग)
उप निबन्धक (प्रशासन),
राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर